

अध्याय-I

शहरी स्थानीय निकायों तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग का विहंगावलोकन

यह अध्याय शहरी स्थानीय निकायों और नगरीय विकास एवं आवासन विभाग का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। यह उनकी संरचना, कार्यप्रणाली, लेखापरीक्षा व्यवस्था और उनकी प्रभावशीलता, वित्तीय आंकड़ों की स्थिति, प्रलेखन तथा निगरानी से सम्बंधित है।

लेखापरीक्षा ने जिला योजना समितियों की बैठकों और कार्यप्रणाली में कमियां पाईं। जयपुर, जोधपुर और कोटा में महानगर योजना समिति का गठन नहीं किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2011 में संपत्ति कर बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन 2017 के बाद इसका पुनर्गठन नहीं किया गया। विभाग ने सभी शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्ति एवं व्यय के पूर्ण आंकड़े संधारित नहीं किये गये। राज्य वित्त आयोग/केंद्र वित्त आयोग द्वारा जारी अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्षों से लंबित थे, जो निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा अप्रभावी निगरानी को दर्शाता है।

दोनों विभागों द्वारा लेखापरीक्षा आक्षेपों पर ध्यान देने और उनके निपटान में भी बहुत विलम्ब हुआ।

(अ) शहरी स्थानीय निकाय

1.1 परिचय

जनवरी 2022 तक कुल 213 शहरी स्थानीय निकाय थे, जिसमें 10 नगर निगम¹ (ननि), 34 नगर परिषद्² (नप) और 169 नगर पालिका मंडल³ (नपामं) थे जैसा कि तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1 : राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय की स्थिति (जनवरी 2022)

नगर निगम	10	
नगर परिषद	34	
नगर पालिका मंडल	(वर्ग II)	13
	(वर्ग III)	58
	(वर्ग IV)	98


स्रोत: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

1. नगर निगम : अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, और उदयपुर
2. नगर परिषद : अलवर, बालोतरा, बांसवाडा, बांरा, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाडा, भिवाड़ी, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डुंगरपुर, गंगापुरसिटी, हनुमानगढ़, हिंडोनसिटी, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुंझुनू, करौली, किशनगढ़, मकराना, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरौही, श्रीगंगानगर, सुजानगढ़ और टोंक
3. नगर पालिका मंडल: वर्ग-II (50,000-99,999 जनसँख्या के साथ): 13, वर्ग-III (25,000-49,999 जनसँख्या के साथ): 58 और वर्ग-IV (25,000 से कम जनसँख्या के साथ): 98

1.2 संगठनात्मक ढांचा

स्वायत्त शासन विभाग शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों को देखने वाला प्रशासनिक विभाग है। शहरी स्थानीय निकायों के साथ राज्य सरकार की प्रशासनिक मशीनरी से संबंधित संगठनात्मक ढांचा रेखाचित्र 1 में दर्शाया गया है

रेखाचित्र 1



1.3 शहरी स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (आरएमए 2009) की धारा 45 से 47 में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कुछ मुख्य कार्यों⁴ का उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार⁵ के पास पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और संस्कृति, लोक कल्याण, सामुदायिक सम्बंधों आदि जैसे अन्य कार्यों को निर्धारित करने की शक्ति है।

आरएमए 2009 की धारा 101 से 103 में नगरपालिकाओं के आंतरिक राजस्व, अनिवार्य करों और अन्य करों के प्रावधान है, जो नगरपालिकाओं द्वारा लगाए जा सकते हैं।

1.3.1 शहरी स्थानीय निकायों को निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों का हस्तांतरण

चौहत्तरवें संवैधानिक संशोधन द्वारा अन्तर्निर्दिष्ट धारा 243 डब्ल्यू में संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 18 विषयों के संबंध में नगरपालिकाओं को शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण

⁴ सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी और सीवरेज, सार्वजनिक सड़कों, स्थानों, सीवरों और सभी स्थानों की सफाई, जो निजी सम्पत्ति नहीं है। सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और भवनों में रोशनी की व्यवस्था करना, आग बुझाने और आग लगने पर जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक सड़कों का निर्माण, परिवर्तन एवं संधारण, योजनाबद्ध विकास की व्यवस्था, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण आदि।

⁵ राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, नगरपालिका से ऐसे अन्य नगरपालिका कार्यों को करने की अपेक्षा कर सकती है, जो राज्य सरकार नगरपालिका की आवश्यकता और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, नगरपालिका द्वारा किए जाने के लिए उपयुक्त समझे।

परिकल्पित किया गया था। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 16 विषयों से संबंधित कार्य किए जा रहे थे। दो कार्यो यथा कच्ची बस्ती सुधार एवं उन्नयन तथा शहरी गरीबी उपशमन आरएमए 2009 में शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं किये गये थे। तथापि, इन दोनो कार्यो को कार्यान्वयन अभिकरणों के रूप में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया गया था। दो कार्यो यथा शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं का संवर्धन तथा समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा को मुख्य कार्यो के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था। तथापि, आरएमए 2009 में प्रावधान था कि इन कार्यो को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उनकी प्रबंधकीय, तकनीकी और वित्तीय क्षमता के अधीन निष्पादित किया जा सकता है।

1.4 विभिन्न समितियों का गठन

1.4.1 जिला आयोजना समिति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 158 के अनुसरण में, राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में जिला आयोजना समिति का गठन करती है। जिला कलेक्टर, जिला आयोजना समिति के सदस्य है और वह या उनके द्वारा नामित अधिकारी जिला आयोजना समिति की बैठक में उपस्थित होते हैं। जिला आयोजना समिति की बैठक के लिये आवश्यक कार्यसाधक संस्था ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों का 33 प्रतिशत है।

जिला आयोजना समिति का मुख्य उद्देश्य जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना और पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच सामान्य हित के मामलों के संबंध में विकास योजना का मसौदा, स्थानिक योजना; जल का बंटवारा और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधन; बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण तथा वित्तीय या अन्य उपलब्ध संसाधनों की सीमा और प्रकार सहित तैयार करना है। जिला आयोजना समिति को राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करना चाहिए। समिति आवंटित कार्यो की समीक्षा के लिए तिमाही में एक बार बैठक करेगी।

‘74वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता’ (वर्ष 2021 की रिपोर्ट संख्या 5, राजस्थान सरकार) पर निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि राजस्थान के सभी 33 जिलों में जिला आयोजना समिति का गठन किया गया था, लेकिन इन समितियों की नियमित रूप से बैठक नहीं हुई थी। प्रत्येक वर्ष एक से चार तक बैठक कम आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, जिला आयोजना समिति ने बैठकों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच सामान्य हितों के मामलों को नहीं उठाया और कोडल प्रावधानों के अनुसार विकास योजनाओं का मसौदा भी तैयार नहीं किया गया था।

1.4.2 महानगर योजना समिति

अनुच्छेद 243 जेडई में कहा गया है कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र⁶ में एक महानगर योजना समिति (एमपीसी) का गठन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना

⁶ 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाला महानगरीय शहर।

था। आरएमए की धारा 157 में भी महानगरीय क्षेत्र विकास योजना तैयार करने के लिए एक महानगर समिति के गठन की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि महानगरीय क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार जयपुर, जोधपुर और कोटा में एमपीसी का गठन किया जाना था परंतु उसका गठन नहीं किया गया था (मार्च 2021)। एमपीसी के अभाव में महानगरों के निवासी क्षेत्र के एकीकृत विकास के लाभों से वंचित थे।

1.4.3 स्थायी समितियां

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 के अनुसार, प्रत्येक नगरपालिका एक कार्यकारी समिति का गठन करेगी। कार्यकारी समिति के अतिरिक्त, प्रत्येक नगरपालिका निम्नलिखित समितियों का भी गठन करेगी, जिसमें 10 से अधिक सदस्य नहीं होंगे (i) वित्त समिति, (ii) स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, (iii) भवनों की अनुमति और निर्माण समिति (iv) कच्ची बस्ती सुधार समिति (v) नियम और उपनियम समिति (vi) समझौता और अपराधों का शमन समिति एवं (vii) नगरपालिका के कार्यकलापों की देखरेख के लिए समिति। यह ऐसी अन्य समितियों का भी गठन कर सकते हैं जो नगर निगमों के मामले में आठ से अनाधिक, नगर परिषद के मामले में छः से अनाधिक और नगरपालिका मंडलों के मामले में चार से अनाधिक नहीं हो जैसा कि आवश्यक⁷ समझी जाये।

निदेशक, स्थानीय निकाय (डीएलबी) से आरएमए, 2009 की धारा 55 के अंतर्गत गठित स्थायी समितियों की वास्तविक स्थिति चाही गई थी (अगस्त 2021)। तथापि, बार-बार मांग करने के उपरान्त भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी (मई 2022)।

1.5 लेखापरीक्षा व्यवस्था

1.5.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (एलएफएडी), राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम (आरएलएफए), 1954 की धारा 4 और राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियमावली, 1955 के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए प्राथमिक/सांविधिक लेखापरीक्षक है। राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम, 1954 की धारा 18 के अनुसार, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग वार्षिक समेकित प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं और सरकार इस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखती है।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान का वर्ष 2019-20 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के पटल पर 25 फरवरी 2021 को रखा गया। वर्ष 2020-21 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा था (जनवरी 2022)।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवधि 2020-21 में 213 में से मात्र 51 (23.94 प्रतिशत) शहरी स्थानीय निकाय इकाईयों का ही अंकेक्षण किया गया था (नगर

⁷ राज्य सरकार, नगरपालिका के कार्यों को देखते हुए, इस धारा में निर्दिष्ट समितियों की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर सकती है।

निगम: तीन, नगर परिषद: 13 और नगर परिषद मंडल: 35)। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2022) कि लेखापरीक्षा में कमी, रिक्त पदों और मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के कार्य में कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण थी।

सिफारिश: 1: सरकार को लंबित लेखापरीक्षाओं को निष्पादित करवाने और समय पर लेखापरीक्षा आयोजित करवाने के लिये स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को सशक्त करना चाहिये।

1.5.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारत की या किसी राज्य की संचित निधि से अनुदान या ऋण द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित निकायों की लेखापरीक्षा सम्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त, 2011 में यथा संशोधित⁸, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 99-क में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नगरपालिकाओं के लेखों की लेखापरीक्षा का प्रावधान है।

स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच और चर्चा करने के लिए स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति 1 अप्रैल 2013 से राजस्थान विधानसभा में गठित है। समिति द्वारा वर्ष 2012-13 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की जा चुकी है या प्रतिवेदनों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु महालेखाकार पर छोड़ा गया है।

समिति ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित अनुच्छेदों पर विभागीय उत्तरों के आधार पर अपना प्रतिवेदन तैयार करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) समिति में चर्चा के लिए लंबित है। वर्ष 2017-20 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष दिनांक 22.09.2022 को प्रस्तुत किया जा चुका है।

1.5.3 तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन/पर्यवेक्षण का कार्यान्वयन

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, राजस्थान सरकार, वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन/पर्यवेक्षण के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सभी स्तरों की लेखापरीक्षा हेतु 13 मापदंडों को अपनाने के लिए अधिसूचना जारी की (2 फरवरी 2011)।

वर्ष 2020-21 की अवधि में, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित 34 तथ्यात्मक विवरणों और 27 प्रारूप अनुच्छेदों तथा निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के 5 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन/पर्यवेक्षण से सम्बंधित टिप्पणियों/सुझावों से महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान द्वारा सूचित किया गया था।

⁸ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानानुसार नगरपालिकाओं के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जायेगी।

1.6 लेखापरीक्षा आक्षेपों का प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा आक्षेपों के शीघ्र निपटान के लिए, लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाए जाने एवं/अथवा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बताए जाने पर कमियों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता होती है।

1.6.1 891 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 28,736.39 करोड़ के मौद्रिक मूल्य वाले कुल 7,249 अनुच्छेद निपटान के लिए लंबित थे (जनवरी 2022)। इनमें से ₹ 22,905.64 करोड़ के मौद्रिक मूल्य वाले 238 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 2,910 अनुच्छेद जो कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान जारी⁹ किए गए थे, निपटान के लिए लंबित थे (जनवरी 2022) और तालिका 1.2 में दिए गए विवरण के अनुसार 37 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 560 अनुच्छेदों की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

तालिका 1.2: निरीक्षण प्रतिवेदनो की वर्षवार स्थिति

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.)	अनुच्छेद	मौद्रिक राशि (₹ करोड़ में)	प्रथम अनुपालना प्रस्तुत न करना	
				नि.प्र.	अनुच्छेद
2016-17	70	762	3391.80	3	38
2017-18	57	610	4019.42	6	70
2018-19	42	536	7994.62	9	136
2019-20	61	828	6203.84	16	226
2020-21	8	174	1295.96	3	90
योग	238	2910	22905.64	37	560

1.6.2 31.03.2021 तक निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी 5949 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 68912 अनुच्छेद निपटान हेतु लंबित थे। जैसा कि तालिका 1.3 में दर्शाया गया है, वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक ₹ 119.98 लाख मौद्रिक राशि के 36 गबन प्रकरणों के अंकेक्षण आक्षेप निपटान हेतु लंबित थे।

तालिका 1.3: निपटान हेतु लंबित गबन के प्रकरण

वर्ष	बकाया गबन के प्रकरण	
	संख्या	मौद्रिक राशि (₹ लाखों में)
2016-17	10	12.87
2017-18	11	47.47
2018-19	7	4.42
2019-20	6	2.72
2020-21	2	52.50
योग	36	119.98

स्रोत: स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार

⁹ 2019-20 तक, निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधान महालेखाकार (सामान्य और सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राजस्थान के कार्यालय द्वारा जारी किए गए थे, जिसे वर्तमान में महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान के कार्यालय के रूप में जाना जाता है। 2020-21 से निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान द्वारा जारी किए जा रहे हैं।

1.6.3 विभाग द्वारा लेखापरीक्षा समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जानी थी। वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की मात्र एक बैठक आयोजित की गई थी।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के प्रत्युत्तर

स्थानीय शहरी निकायों पर पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2016-17 तक) में सम्मिलित सभी अनुच्छेदों के प्रत्युत्तर प्राप्त हो गए थे।

1.6.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

वर्ष 2020-21 के दौरान, लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर 01 प्रकरण में ₹ 0.31 करोड़ की वसूली की गयी।

सिफारिश 2: स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा लंबित अनुच्छेदों के निपटान हेतु नियमित रूप से लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के आयोजन के प्रयास किये जाने चाहिये। शहरी स्थानीय निकायों को भी महालेखाकार/स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा इंगित लंबित अनुच्छेदों के निपटान के लिये त्वरित कार्यवाही करनी चाहिये।

जवाबदेही तंत्र और वित्तीय लेखन मुद्दे

जवाबदेही तंत्र

1.7 सम्पत्ति कर बोर्ड

तेरहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को सम्पत्ति कर का स्वतंत्र और पारदर्शी प्रक्रिया से आंकलन करने में सहायता हेतु एक राज्य स्तरीय सम्पत्ति कर बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की (फरवरी 2011)। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि बोर्ड को राज्य में, शहरी स्थानीय निकायों की समस्त सम्पत्तियों की गणना करने या गणना करवाने तथा सम्पत्ति कर तंत्र की समीक्षा करने एवं सम्पत्तियों के उचित मूल्यांकन एवं निर्धारण के लिए उपयुक्त सुझाव देने चाहिए। चौदहवें वित्त आयोग ने भी शहरी स्थानीय निकायों की आय को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में संपत्ति कर पर जोर दिया था।

राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय संपत्ति कर बोर्ड का गठन (फरवरी 2011) किया था और निदेशक, स्थानीय निकाय को बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया था। तथापि, अप्रैल 2017 में इसका कार्यकाल पूरा होने तक बोर्ड की मात्र एक बैठक हुई थी (28 अप्रैल 2011)। उसके उपरान्त राज्य सरकार ने बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया।

जैसा कि तालिका 1.5 में दर्शाया गया है, संपत्ति कर शहरी स्थानीय निकायों के लिए एकमात्र सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है। संपत्ति कर बोर्ड की अनुपस्थिति में, शहरी स्थानीय निकाय संपत्ति कर (शहरी विकास कर) के निर्धारण और संशोधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन से वंचित थे। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संपत्ति कर के निर्धारण के लिए स्वतंत्र, पारदर्शी और मजबूत प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य अधूरा रह गया।

सिफारिश 3: राज्य सरकार को वित्त आयोग की सिफारिशों का सही अर्थों में पालन करना चाहिये, संपत्ति कर बोर्ड का पुनर्गठन करना चाहिये और शहरी स्थानीय निकायों को इसे संपत्ति कर कुशलतापूर्वक एकत्र करने में सक्षम बनाने के लिये कार्यात्मक बनाना चाहिये।

1.8 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण

2020-21 तक, वित्त विभाग द्वारा पांचवे राज्य वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत क्रमशः ₹ 5,417.14 करोड़ और ₹ 3,987.81 करोड़ के अनुदान शहरी स्थानीय निकायों को जारी किये गये थे।

2015-16 से 2020-21 की अवधि के लिए अनुदानों के उपयोग और बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विवरण तालिका 1.4 में दिखाया गया है:

तालिका 1.4: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान का विवरण	वित्त विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को जारी वास्तविक अनुदान	शहरी स्थानीय निकाय से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
पांचवें राज्य वित्त आयोग से अनुदान	5417.14	4578.06	84.51	839.08	15.49
चौदहवें वित्त आयोग से अनुदान	3987.81	3369.57	84.50	618.24	15.50

स्रोत: निदेशालय स्थानीय निकाय से प्राप्त सूचना

1.9 शहरी स्थानीय निकायों का आंतरिक अंकेक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली


राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 99 के अनुसार राज्य सरकार या नगरपालिका, नगरपालिका के दिन-प्रतिदिन के लेखों की विहित रीति से आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान करेगी।

निदेशालय स्थानीय निकाय ने अवगत कराया (जनवरी 2022) कि विभागीय स्तर पर आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु कोई तंत्र नहीं था।

1.10 वित्तीय लेखन मुद्दे

1.10.1 निधियों का स्रोत

शहरी स्थानीय निकायों के संसाधन आधार में निजी राजस्व, निर्धारित राजस्व, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों एवं ऋणों को निम्न रेखा चित्र में दर्शाया गया है:



1.10.2 प्राप्तियां

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्तियों की स्थिति तालिका 1.5 में दी गई है।

तालिका 1.5 : विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियों के स्रोत	2016-17*	2017-18#	2018-19#	2019-20#	2020-21#
(क) निजी राजस्व					
(क) कर राजस्व					
(i) गृहकर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) शहरी विकास कर ¹⁰ /सम्पत्ति कर	59.08	135.53	106.29	35.08	31.88
(iii) वाहनों पर कर	0.00	5.88	4.75	0.26	0.02
(iv) यात्री कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) सीमा कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vii) अन्य कर ¹¹	74.80	201.87	111.94	56.60	62.01
(viii) बहिः स्रोतन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर राजस्व का योग (क)	133.88	343.28	222.98	91.94	93.91
कुल राजस्व का प्रतिशत	4.06	6.52	3.80	2.92	2.66
(ब) गैर-कर राजस्व					
(i) उपनियमों से राजस्व ¹²	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) सम्पत्तियों से राजस्व	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) शुल्क/उपयोगकर्ता शुल्क	0.00	410.48	339.47	232.57	208.29
(iv) अन्य आय	0.00	452.93	598.88	337.78	318.45
(v) बिक्री और किराया	0.00	186.85	185.31	147.02	114.85
(vi) निवेश पर ब्याज	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00

10. 24 फरवरी 2007 से गृहकर की समाप्ति के उपरान्त 29 अगस्त 2007 से शहरी विकास कर लागू किया गया।

11. भूमि राजस्व से आय, विज्ञापन पर कर, तीर्थ कर, अन्य आय इत्यादि।

12. जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र से आय, संकेत विज्ञापन पटल शुल्क, निविदा फार्म शुल्क, विवाह पंजीकरण शुल्क, भवन अनुज्ञा शुल्क, होटल उपविधियों की लाइसेंस शुल्क इत्यादि।

प्राप्तियों के स्रोत	2016-17*	2017-18#	2018-19#	2019-20#	2020-21#
(vii) विविध गैर-कर राजस्व ¹³	269.01	0.00	0.00	0.00	0.00
(viii) भूमि का विक्रय ¹⁴	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
(ix) ब्याज प्राप्तियां	0.00	76.22	86.54	55.49	39.77
(x) किराये से आय	0.00	44.41	52.05	48.37	30.21
गैर-कर राजस्व का योग (ब)	550.33	1170.89	1262.25	821.23	711.57
कुल राजस्व का प्रतिशत	16.69	22.24	21.53	26.06	20.13
निजी राजस्व का योग (अ)	684.21	1514.17	1485.23	913.17	805.48
कुल राजस्व का प्रतिशत	20.75	28.76	25.34	28.98	22.79
(स्व) नियत राजस्व/मनोरंजन कर	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
(स) अनुदान एवं ऋण					
(i) सामान्य एवम विशेष अनुदान	1785.17	2197.67	2743.07	1354.72	1789.56
(ii) चुंगी की एवज में अनुदान	828.41	1553.46	1633.63	883.42	940.05
(iii) विशेष सहायता एवं ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनुदान व ऋण का योग (स)	2613.58	3751.13	4376.7	2238.14	2729.61
प्रतिशत	79.25	71.24	74.66	71.02	77.21
(द) विविध अनावर्ती आय ¹⁵	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महायोग (अ से द)	3297.83	5265.3	5861.93	3151.31	3535.09

* वर्ष 2016-17 के उपरोक्त आंकड़ें मात्र 120 शहरी स्थानीय निकायों के हैं, शेष शहरी स्थानीय निकायों की सूचना निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके आंकड़े वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 व 2020-21 से सम्बंधित हैं, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

स्रोत: निदेशालय स्थानीय निकाय से प्राप्त सूचना

तालिका 1.5 से यह देखा जा सकता है कि विभाग सभी शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों के पूर्ण आंकड़े संधारित नहीं करता है इसलिए लेखापरीक्षा शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ है। यह शासकीय स्तर पर प्रबंधन सूचना प्रणाली की दुर्बलता को भी दर्शाता है।

1.10.3 व्यय

2016-17 से 2020-21 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों में व्यय की स्थिति तालिका 1.6 में दी गई है:

तालिका 1.6: शहरी स्थानीय निकायों में व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय के मद	2016-17*		2017-18#		2018-19#		2019-20#		2020-21#	
(अ) आवर्ती व्यय										
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
सामान्य प्रशासन	848.73	33.71	1597.36	32.33	2052.4	31.16	1112.76	32.26	1025.89	30.99
जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	99.91	3.97	361.21	7.31	456.74	6.93	197.88	5.74	211.56	6.39

13. सीवरेज कर से आय, मेला शुल्क, आवेदन शुल्क, बकरा मण्डी के अनुबन्ध से आय, मवेशी निवास से आय, पट्टे से आय इत्यादि।

14. नागरिक, सरकार और अन्य वाणिज्यिक संगठनों को भूमि विक्रय से प्राप्ति।

15. इसमें जमाओं एवं ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित हैं।

व्यय के मद	2016-17*		2017-18#		2018-19#		2019-20#		2020-21#	
नागरिक सुविधाओं का संधारण	261.54	10.39	427.82	8.66	497.91	7.56	179.87	5.21	229.5	6.93
आवर्ती व्यय का योग (अ)	1210.18	48.07	2386.39	48.30	3007.05	45.65	1490.51	43.21	1466.95	44.31
(ब) अनावर्ती व्यय										
विकास कार्यों पर व्यय	1303.83	51.79	2224.53	45.02	3217.04	48.84	1733.04	50.24	1551.53	46.87
नवीन संपत्ति का क्रय	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ऋणों का पुर्नभुगतान	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
विविध अनावर्ती व्यय ¹⁶	3.71	0.15	330.38	6.69	363.39	5.52	225.69	6.54	291.55	8.81
अनावर्ती व्यय का योग (ब)	1307.54	51.94	2554.91	51.71	3580.43	54.36	1958.73	56.78	1843.08	55.68
महायोग (अ+ब)	2517.72		4941.3		6587.48		3449.24		3310.03	
* वर्ष 2016-17 के आंकड़े मात्र 120 शहरी स्थानीय निकायों के हैं। शेष शहरी स्थानीय निकायों की सूचना निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।										
# शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके आंकड़े वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 व 2020-21 से सम्बंधित हैं, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।										

स्रोत: निदेशालय स्थानीय निकाय से प्राप्त सूचना

तालिका 1.6 से यह देखा जा सकता है कि विभाग सभी शहरी स्थानीय निकायों के व्यय के पूर्ण आंकड़े संधारित नहीं करता है, इसलिए लेखापरीक्षा शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ है। यह शासकीय स्तर पर प्रबंधन सूचना प्रणाली की दुर्बलता को भी दर्शाता है।

सिफारिश 4: शहरी स्थानीय निकायों को भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों पर निर्भरता को कम करने के लिए स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व के संग्रह पर ध्यान केंद्रित करके अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

सिफारिश 5: निदेशक, स्थानीय निकाय को एक प्रतिवेदन या डेटाबेस के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों और व्यय पर अद्यतन जानकारी रखने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

1.10.4 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें

11 अप्रैल 2011 को गठित चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और 29 मई 2015 को गठित पंचम राज्य वित्त आयोग क्रमशः तेरहवें वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग के समवर्ती थे। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को राज्य के शुद्ध स्व-कर राजस्व के पांच प्रतिशत हस्तांतरण की सिफारिश की जबकि पंचम राज्य वित्त आयोग ने राज्य के शुद्ध स्व-कर राजस्व का 7.182 प्रतिशत स्थानीय निकायों को क्रमशः 75.10: 24.90 के अनुपात में पंचायती राज सस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की। यह अनुपात 2011 की जनगणना के ग्रामीण और शहरी जनसंख्या अनुपात के आधार पर अपनाया गया था।

राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त निगमों के अंतर्गत जारी अनुदानों की स्थिति और उनका उपयोग निम्न तालिका 1.7 में दिया गया है:

¹⁶ इसमें धन वापसी या जमा, किया गया निवेश और ऋण तथा अग्रिम का संवितरण सम्मिलित है।

तालिका 1.7: राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त निगमों के अंतर्गत जारी अनुदानों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदान		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र			लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	वर्ष के दौरान	संचित	वर्ष के लिये	संचित	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले अनुदान की स्थिति							
2015-16	773.95	773.95	364.83	364.83	47.16	409.12	52.86
2016-17	895.32	1669.27	586.15	950.98	56.97	718.29	43.03
2017-18	812.03	2481.30	691.24	1642.22	66.18	839.08	33.82
2018-19	784.53	3265.83	784.53	2426.75	74.31	839.08	25.69
2019-20	430.70	3696.53	430.70	2857.45	77.30	839.08	22.70
2020-21	1720.61	5417.14	1720.61	4578.06	84.51	839.08	15.49

स्रोत: निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जारी अनुदानों के विरुद्ध 15.49 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण-पत्र लम्बित थे, जो कि स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अप्रभावी निगरानी को दर्शाता है।

1.10.5 केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशें

चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को और राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदानों की स्थिति और उनका उपयोग निम्न तालिका 1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.8: राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदानों की स्थिति और उनका उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदान		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र			लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	वर्ष के दौरान	संचित	वर्ष के लिये	संचित	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
राज्य सरकार द्वारा चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी किये गये अनुदानों की स्थिति							
2015-16	433.12	433.12	264.90	264.9	61.16	168.22	38.84
2016-17	776.73	1209.85	443.20	708.1	58.53	501.75	41.47
2017-18	692.93	1902.78	576.44	1284.54	67.51	618.24	32.49
2018-19	801.60	2704.38	801.60	2086.14	77.14	618.24	22.86
2019-20	1283.43	3987.81	1283.43	3369.57	84.50	618.24	15.50
2020-21	0.00	3987.81	0.00	3369.57	84.50	618.24	15.50

स्रोत: निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान द्वारा उपलब्ध (दिसम्बर 2021) करवाए गए आंकड़ों के अनुसार।

यह देखा जा सकता है कि चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत जारी अनुदानों के विरुद्ध 15.50 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण-पत्र लम्बित थे।

1.10.6 वार्षिक वित्तीय विवरण

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 92 (1) के अनुसार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंतर्गत, आय एवं व्यय लेखों से युक्त एक वित्तीय विवरण, पिछले वित्तीय वर्ष के लिये प्राप्त एवं भुगतान के लेखे और पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नगरपालिका की सम्पत्ति एवं देनदारियों का एक तुलन-पत्र तैयार करे।

निदेशालय स्थानीय निकाय द्वारा ऐसा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया जो विभाग द्वारा निर्धारित समय में अपने वार्षिक लेखे तैयार करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की संख्या को इंगित करे (जनवरी 2022)।

1.10.7 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा खातों का संधारण

राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम 1955 के नियम 25(xi) के अनुसार निदेशकों के प्रतिवेदन में वार्षिक लेखों की शुद्धता का प्रमाण पत्र सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार, सभी शहरी स्थानीय निकायों के लेखों को प्रमाणित करना आवश्यक था। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान जिन शहरी स्थानीय निकायों के लेखों को प्रमाणित किया गया था, उनकी संख्या से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई (जनवरी 2022)।

भारत में शहरी स्थानीय निकायों के लिए राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली (एनएमएएम) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2005 में लागू की गई। एनएमएएम के आधार पर राजस्थान नगर लेखा नियमावली (आरएमएएम) तैयार की गई। नियमावली का अनुगमन करते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को 1 अप्रैल 2010 से उपार्जन लेखाप्रणाली (दोहरी लेखा प्रणाली) आधारित लेखों के अनुरक्षण का निर्देश दिया था (दिसंबर 2009)।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग तथा निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा उन शहरी स्थानीय निकायों, जो उपार्जन लेखाप्रणाली (दोहरी लेखा पद्धति) पर आधारित लेखों का अनुरक्षण कर रहे थे, की संख्या दर्शाने वाला कोई विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया (जनवरी 2022)।

1.10.8 शहरी स्थानीय निकायों के वित्त पर डाटाबेस और प्रारूपों का रखरखाव

जैसा कि दसवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाए जाने हेतु सात डाटाबेस प्रारूप जारी किए (अप्रैल 2010)। निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2021) कि सभी शहरी स्थानीय निकाय निर्धारित डाटाबेस प्रारूपों में सूचना तैयार कर रहे थे।

सिफारिश 6: शहरी स्थानीय निकायों को निर्धारित लेखा प्रणाली का पालन करना चाहिए और खातों को समय पर अंतिम रूप देने/प्रमाणन करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए।

(ब) नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

1.11 परिचय

नगरीय विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग, नगर नियोजन विभाग, नगर सुधार न्यासों (यूआईटी), शहरी विकास प्राधिकरणों (यूडीए), राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, जयपुर मेट्रो रेल निगम और राजस्थान आवासन मंडल का नियंत्रण विभाग है।

1.12 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की रूपरेखा

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अंतर्गत नगर नियोजक के आठ कार्यालय, 14 यूआईटी, तीन यूडीए, राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, जयपुर मेट्रो रेल निगम एवं राजस्थान आवासन मण्डल कार्यरत हैं।

1.12.1 नगर नियोजन विभाग

मुख्य नगर नियोजक विभाग का प्रमुख होता है। नगर नियोजन विभाग का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और अन्य सरकारी अभिकरणों को प्राविधिक परामर्श प्रदान करने के साथ-साथ मुख्य योजना, सेक्टर योजना तथा योजनाओं की तैयारी और शहरों के भौतिक विकास का मार्गदर्शन करना है। यह विभाग शहरी विकास की प्रक्रिया में स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के बीच एक केंद्रीय समन्वयक के रूप में कार्य करता है।

1.12.2 नगर सुधार न्यास (यूआईटी)

यूआईटी¹⁷ का गठन राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम 1959 के अनुसार किया गया है। यूआईटी के अध्यक्ष या तो जन प्रतिनिधि या जिला कलेक्टर होते हैं। अध्यक्ष को एक सचिव द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो कार्यकारी अधिकारी होता है। यूआईटी में सरकारी अधिकारी और न्यासी के रूप में नामित सार्वजनिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। यूआईटी के कार्यों में मुख्य योजना तैयार करना, न्यासों का गठन, योजनाओं का निर्माण, भूमि का अधिग्रहण और विक्रय, शहरी भूमि का उपयोग आदि सम्मिलित हैं।

1.12.3 शहरी विकास प्राधिकरण (यूडीए)

शहरी विकास प्राधिकरण, जयपुर, जोधपुर और अजमेर क्षेत्र के समुचित, व्यवस्थित और तीव्र विकास की योजना बनाते हैं, समन्वय और पर्यवेक्षण करते हैं और ऐसे विकास के लिए आयोजनाओं, परियोजनाओं और योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं।

1.12.4 राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण

राजस्थान रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 दिनांक 01.05.2017 को अधिसूचित किये गये थे। इस अधिनियम के तहत, राज्य सरकार को राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और प्रचार के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता


¹⁷ आबू, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, तथा उदयपुर।

है। राजस्थान सरकार ने दिनांक 06.03.2019 को राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का गठन किया। प्राधिकरण के प्रमुख उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं:

- प्रवर्तकों द्वारा रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रकाशन सुनिश्चित करना।
- रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण।
- रियल एस्टेट अभिकर्ताओं का पंजीकरण।
- शिकायत निवारण।
- अचल संपत्ति क्षेत्र के विकास और संवर्धन से संबंधित मामलों में सरकार को सिफारिशें प्रदान करना।

1.13 संगठनात्मक ढांचा

नगरीय विकास और आवासन (यूडीएच) विभाग का संगठनात्मक ढांचा **रेखाचित्र 2** में दर्शाया गया है



1.14 लेखापरीक्षा व्यवस्था

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

- नगर नियोजन विभाग की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें), अधिनियम की धारा 13 के आधार पर आयोजित की जाती है।
- यूआईटी और यूडीए में प्राप्त अनुदानों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें), अधिनियम की धारा 14 के आधार पर की जाती है। तथापि, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें), अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत नियमित आधार पर यूआईटी एवं यूडीए की लेखापरीक्षा के प्रकरण शासन सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। जन लेखा समिति द्वारा

सिफारिश की गई (नवंबर 2020) कि इन प्राधिकरणों को नियमित आधार पर महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिए।

- राजस्थान आवासन मण्डल की लेखापरीक्षा यद्यपि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें), अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत महालेखाकार को प्रदान की गई थी (अक्टूबर 2009), तथापि मण्डल इसके लिए सहमत नहीं था। मण्डल के साथ चर्चा के उपरान्त अंतिम निर्णय के लिए प्रकरण सरकार के पास लंबित है।
- राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें), अधिनियम की धारा 13 और 19 (2) और रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 77 के अंतर्गत आयोजित की जाती है।

1.15 लेखापरीक्षा आक्षेपों का प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा आपत्तियों के शीघ्र निपटान के लिए विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों को लेखापरीक्षा के दौरान और/अथवा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से उनके संज्ञान में लाई गई त्रुटियों और अनियमितताओं को दूर करने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.15.1 वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए, यूडीएच और अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में 54 निरीक्षण प्रतिवेदन के 354 अनुच्छेदों जिसमें ₹ 2751.59 करोड़ का मौद्रिक मूल्य सम्मिलित है, निपटान हेतु लंबित थे (जनवरी 2022)।

1.15.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अनुच्छेदों पर प्रतिक्रिया

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-राजस्थान सरकार में निहित अनुच्छेदों पर विभाग की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

1.15.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर दो प्रकरणों में ₹ 9.12 लाख की वसूली की गई।

सिफारिश 7: शहरी विकास एवं आवासन विभाग द्वारा लंबित अनुच्छेदों के शीघ्र निपटान के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।